राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 34/2025 आवंटन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र

1. गोपाल पिता काना जाट
   निवासी नोहरा, तहसील कोटडी हाल
   तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. रामेश्वर पिता लक्ष्मण जाट
   निवासी नोहरा, तहसील कोटडी हाल
   तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. रामसिंह पिता स्वरूप सिंह राजपूत
   निवासी नोहरा, तहसील कोटडी,
   हाल तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. पूर्ण सिंह पिता शंकर सिह राजपूत
   निवासी नोहरा, तहसील कोटडी,
   हाल तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. बद्री लाल पिता मोती लाल जाट,
   निवासी नोहरा, तहसील कोटडी,
   हाल तहसील व जिला भीलवाडा
6. उदयलाल पिता हीरा जाट,
   निवासी नोहरा, तहसील कोटडी हाल
   तहसील व जिला भीलवाड़ा
7. चैन सिंह पिता भंवर सिंह राजपूत
   निवासी नोहरा, तहसील कोटडी हाल
   तहसील व जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. सत्यनारायण जाट पिता भैरू लाल जाट निवासी बन का खेडा, तहसील कोटडी, जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी हाल तहसीलदार भीलवाड़ा

–प्रार्थीगण

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थित – श्री रामेश्वर लाल जाट, अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
श्री कैलाश चंद्र काष्ट, अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक 16.04.2026

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि ग्राम नोहरा पटवार हल्का रेड़वास तहसील कोटडी हाल तहसील व जिला भीलवाड़ा को सरहद में आराजी संख्या 517 रकबा 7 बीचा 7 विस्वा भूमि भीलवाड़ा कोटा हाईवे रोड संख्या 758 से लगी हुई स्थित है। आराजी संख्या 517 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा में से 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि

16-4-26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आवंटन सलाहकार समिति तहसील कोटडी द्वारा दिनांक 08/04/2013 को आवंटन पत्रावली संख्या 10/2013 द्वारा विपक्षी संख्या 01 के पक्ष निशुल्क भूमि नियमन किये जाने का आदेश प्रदान किया। जिसपर उपखण्ड अधिकारी कोटडी द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 15/04/2013 को जारी किया गया। आंवटन आदेश जारी होने के पूर्व ही दिनांक 19/01/2013 को पटवार हल्का द्वारा विपक्षी को नियमन की गई भूमि का कब्जा देना दर्शा रखा है। इसी प्रकार आवंटन कमेटी ने दिनांक 08/04/2013 को नियमन करने का आदेश प्रदान किया। इससे पूर्व ही दिनांक 19/01/2013 को उपखण्ड अधिकारी ने नियमन का आदेश जारी कर दिया। आवंटन नियमन में फर्जीवाड़ा होने से फर्जी वाड़ा छीपाने के लिए नियमन आदेश के 10 वर्ष बाद विपक्षी संख्या 01 ने उपखण्ड अधिकारी कोटडी के समक्ष नियमन/आवंटन की गई भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के लिए आवेदन पेश किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी कोटडी ने आदेश कमांक/राजस्व/794 दिनांक 16/08/2023 को भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने के तहसीलदार कोटडी को आदेश प्रदान किया। उपखण्ड अधिकारी के आदेश की पालना मे तहसीदार कोटडी ने दिनांक 16/7/2024 जो पटवार हल्का रेड़वास को भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान किया। पटवार हल्का रेड़वास ने नये आराजी 967/515 कायम कर रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा (0.5401 हैक्टयर) का नामान्तरण संख्या 253 दिनांक 04/09/2024 को विपक्षी संख्या 01 के नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया। जिससे व्यथित होकर ग्रामवासी रेड़वास के प्रतिनिधि प्रार्थीगण की ओर से निम्न प्रार्थना पत्र सादर प्रस्तुत है। आवंटन/नियमन नियम विरूद्ध होने से आवंटन/नियमन आदेश निरस्त होने योग्य है। आवंटित आराजी के सबंध में आवंटन/नियमन से पूर्व कोई उद्देघोषणा जारी नहीं की गई है। आवंटन पत्रावली एक ही समय एक ही व्यक्ति द्वारा तैयार की गई है। आवंटन कमेटी ने दिनांक 08/04/2013 को नियमन किये जाने का आदेश प्रदान किया और उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 15/04/2013 को नियमन आदेश जारी किया। आवंटन से पूर्व ही दिनांक 19/1/2013 को कब्जा सिपूर्द करना दर्शा रखा है जिसमें जाहिर है कि आवंटन नियमो की पालना नही की गई है। आवंटन पत्रावली में पटवार हल्का की रिपोर्ट, तहसीलदार की रिपोर्ट, अतिक्रमण चार्ट, ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र, नक्शा ट्रेस पर कही भी कोई तारीख अंकित नहीं है। आवंटन पत्रावली में आवंटी का आंवटित भूमि पर संवत् 2060 से 2070 तक निरन्तर अतिक्रमण होना दर्शा रखा हैं जबकि आवंटित भूमि पर विपक्षी संख्या 01 का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। अगर विपक्षी संख्या 01 का कब्जा होता तो खसरा गिरदावरी और पी 14 में इसका अंकन अवश्य होता। जबकि ऐसा कोई अकंन नहीं है। आवंटन पत्रावली में आवटी का 10 रूपये के स्टाम्प पर शपथपत्र पेश करना दर्शा रखा है जबकि कोई शपथपत्र पेश नहीं किया गया है। तहसीलदार कोटडी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि आंवटित/नियमन की जाने वाली आराजी पक्की सड़क से 50 गज दूर स्थित है। जबकि नियमन की गई आराजी भीलवाड़ा कोटा हाईवे रोड़ से लगी हुई है। तथा नियमन की गई भूमि के पूर्व और पश्चिम मेड पर कच्चा सरकारी रास्ता है। तहसीलदार साहब द्वारा गलत रिपोर्ट की गई। पटवार हल्का ने अपनी रिपोर्ट में आराजी संख्या 517 को एन.एच. से 30 कि.मी. दूर होना दर्शा रखा है जबकि आराजी संख्या 517 एन.एच. से लगी

16.4.26

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

हुई है। पत्रावली में ग्राम पंचायत रेडवास का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। सन् 2013 में ग्राम पंचायत रेड़वास की संरपच सायरी देवी जाट थी जिसके एनओसी पर फर्जी हस्ताक्षर दर्शा रखे है। विपक्षी संख्या 01 ने आवंटन/ नियमन हेतु आवेदन पेश किया जिसका आवक जावक रजिस्ट्रर में कही इन्द्राज नहीं है। रेकार्ड में पत्रावली संख्या 10/13 इस आवंटन से सम्बधिंत नही है। उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन पेश किये जाने के बाद तहसीलदार कोटडी, पटवार हल्का, गिरदावर से मौका रिपोर्ट लेने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया। दिनांक 19/01/2013 को राजस्व केम्प रेडयास में भूमि आवंटन होना दर्शाया गया है जबकि दिनांक 19/01/2013 के केम्प मे नियमन हेतु ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया । दिनांक 19/01/2013 के रेडवास में आये कामो की सूचि में इसका कोई अंकन नहीं हैं। आवंटन आदेश के 10 वर्षों बाद भूमि का राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का आवेदन पत्र यह संदेह पैदा करता है। विपक्षी संख्या 01 को बी.पी.एल. में सवंत् 2060 में कमांक 6 पर चयनित होना बताया है जबकि संवत 2060 में विपक्षी संख्या 01 बीपीएल में चयनित नहीं था। पूरी आवंटन कमेटी के फर्जी हस्ताक्षर है। आवंटन के आदेश पर उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, प्रधान, मनोनित सदस्य, संरपच, विकास अधिकारी सभी के फर्जी हस्ताक्षर है। आवंटन पत्रावली फर्जी तैयार की गई है। इस कारण ही स्थानीय विधायक को आंमत्रित नहीं किया गया। जबकि स्थानीय विधायक आवंटन कमेटी का सदस्य होता है। आवंटी भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है इस कारण आवंटन निरस्त होने योग्य है। आवंटी ने आवंटन के 10 वर्षों बाद भूमि को राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का आवेदन पेश किया। इस आवेदन पर उपखण्ड अधिकारी को तहसीलदार, पटवारी से वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब की जानी चाहिये थी। फिर भी उपखण्ड अधिकारी ने मौका रिपोर्ट तलब नही कर सीधा राजस्व रेकार्ड में आवंटन का आदेश पारित किया जो नियम विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। आवंटित भूमि को वर्तमान में बाजार दर 40 लाख रूपये प्रतिबीधा होने से यह भूमि एक करोड़ रूपये के करीब है। सरकार की करोड़ो रूपये की भूमि को निशुल्क नियमन कर सरकार को नुकसान पहुंचाया। उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 16/08/2023 को आवंटित भूमि रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया। जबकि दिनांक 16/08/2023 को पटवार हल्का रेड़वास का राजस्व क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा को था। तहसीलदार कोटडी ने दिनांक 16/7/2024 को आवंटित भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया। जबकि पटवार हल्का रेड़वास का राजस्व क्षेत्राधिकार भीलवाड़ा तहसीलदार को था। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा आवंटन सलाहकार समिति कोटडी द्वारा पत्रावली संख्या 10/2013, दिनांक 19/01/2013 द्वारा दिनांक 08/04/2013 एवं दिनांक 15/04/2013 को जारी किया गया ग्राम नोहरा पटवार हल्का रेड़वास तहसील कोटडी हाल तहसील भीलवाड़ा की आराजी संख्या 517 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा में से 02 बीघा 10 बिस्वा (0.5401 हैक्टयर) का नियमन जो विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में किया गया जिसे निरस्त फरमाया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

16.4.26

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को वादग्रस्त आराजियात का आवंटन नियमानुसार हुआ हैं। उक्त आराजी संख्या 517 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा विपक्षी जवाबदाता को वक्त आवंटन नेशनल हाईवे से लगती हुई भूमि नही थी क्योकि वक्त आवंटन नेशनल हाईवे–758 स्थित ही नही था। नेशनल हाईवे–758 की अधिसूचना आवंटन की कार्यवाही के पश्चात् अधिसूचना बाद में अधिसूचित हुई है तथा विपक्षी जवाबदाता को आराजी संख्या 517 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा में से 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित की गई है जो कि नेशनल हाईवे से लगती हुई नहीं है बल्कि उक्त रकबे में पीछे की तरफ स्थित है। प्रार्थीगण ने पत्रावली संख्या 10/2013 द्वारा सलाहकार समिति तहसील कोटडी द्वारा दिनांक 08.04.2013 को विपक्षी जवाबदाता के पक्ष में निःशुल्क भूमि नियमन किये जाने का आदेश प्रदान करने का तथ्य अंकित किया है जो गलत होकर अस्वीकार है बल्कि जवाबदाता विपक्षी संख्या 01 को दिनांक 19.01.2013 को ही भूमि आवंटित हो गई थी। प्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी कोटडी द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 15.04.2013 को जारी करने का कथन किया है जो पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार हैं। उपखण्ड अधिकारी महोदय कोटड़ी जिला भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 19.01.2013 को ही विपक्षी जवाबदाता का भूमि आवंटित कर दी थी जिसका आवंटन पत्र भी उक्त दिनांक को ही विपक्षी जवाबदाता कॉ सिपुर्द कर दिया गया था जिसकी फोटो प्रति इस जवाब प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत है। केवलमात्र उपखण्ड अधिकारी महोदय कोटडी के यहाँ से उक्त आवंटन दिनांक 19. 01.2013 की एक प्रति पटवारी हल्का रेडवास को दिनांक 15.04.2013 को प्रेषित की गई जिसका तात्पर्य कदापि यह नहीं निकाला जा सकता है कि उपखण्ड अधिकारी महोदय कोटड़ी जिला भीलवाड़ा द्वारा आवंटन आदेश ही दिनांक 15.04.2013 को जारी किया हो। दिनांक 15.04.2013 केवलमात्र पटवारी हल्का को आदेश की प्रति डिस्पेच किये जाने की दिनांक मात्र है जो एक विभागीय प्रक्रिया मात्र है। प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि आवंटन आदेश के पूर्व ही दिनांक 19.01.2013 को पटवार हल्का द्वारा विपक्षी को नियमन की गई भूमि का कब्जा देना दर्शा रखा है बल्कि इसके विपरित दिनांक 19.01.2013 को तहसीलदार कोटडी द्वारा बाद जाँच आवंटितशुदा भूमि विपक्षी जवाबदाता के पक्ष में नियमन किये जाने की अनुशंषा के साथ पत्रावली भू–आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिस पर दिनांक 19.01.2013 को ही आंवटन सलाहकार समिति द्वारा तहसीलदार रिपोर्ट बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से विपक्षी जवाबदाता को दिनांक 19.01. 2013 को ही आराजी संख्या 517 मे से 02.10 बीघा भूमि नियमित करने की अनुशंषा की गई थी तथा दिनांक 19.01.2013 को ही उपखण्ड अधिकारी महोदय कोटड़ी जिला भीलवाडा द्वारा भूमि का आवंटन विपक्षी जवाबदाता के पक्ष में जारी कर आवंटन पत्र की एक प्रति विपक्षी जवाबदाता को सुपुर्द की जाकर आवंटितशुदा भूमि का कब्जा दिनांक 19.01.2013 को ही विपक्षी जवाबदाता को सुपुर्द किया गया है तब से ही विपक्षी जवाबदाता आज दिनांक तक बदस्तुर यानि कि करीब 13 वर्षों से भी अधिक समय से आवंटितशुदा भूमि पर अपना कब्जा बनाये रखते हुये फसल काश्त करता हुआ निरन्तर चला आ रहा है और वर्तमान में भी आवंटितशुदा भूमि पर विपक्षी जवाबदाता का ही कब्जा है। इस प्रकार प्रार्थीगण ने इस चरण में यह तथ्य गलत अंकित किया है कि आवंटन समिति ने दिनांक 08.04.2013 को गलत

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

16.4.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नियमन का आदेश पारित किया हो बल्कि दिनांक 19.01.2013 को ही आवंटितशुदा भूमि का विपक्षी जवाबदाता के पूर्व में चले आ रहे कब्जे के आधार पर नियमन किया जाकर दिनांक 19.01.2013 को ही भूमि का नियमन कर आवंटन कर कब्जा सुपुर्द किया है जो आज दिनांक तक बदस्तूर जारी है प्रार्थीगण का यह कहना भी गलत है कि आवंटन नियमन में फर्जीवाडा होने से फर्जीवाडा छिपाने के लिये आवंटन के लिये नियमन आदेश के 10 वर्ष बाद विपक्षी जवाबदाता ने उपखण्ड अधिकारी महोदय कोटडी जिला भीलवाड़ा के समक्ष आवेदन पेश किया हो बल्कि विपक्षी जवाबदाता एक अनपढ़ व्यक्ति होकर कृषक है जिसका दस्तावेज ही प्रक्रिया से अधिक तालुकात नही है। इस कारण जब विपक्षी जवाबदाता को भूमि का आवंटन हो गया था तत्पश्चात ही विपक्षी जवाबदाता ने यह सोचा कि यह आवंटन की प्रक्रिया सभी राजकीय विभागों से जारी हुई है इस कारण स्वत ही राजस्व रेकार्ड में विपक्षी जवाबदाता का नाम अंकित हो जायेगा। हाल ही में जब विपक्षी जवाबदाता ने जमाबंदी निकलवाई और उसमें स्वयं का नाम अंकित होना नही पाया तो समस्त दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विपक्षी जवाबदाता ने राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार कोटडी द्वारा पटवारी हल्का रेडवास को उक्त भूमि को विपक्षी जवाबदात्ता के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित करने का दर्ज आदेश फरमाया है जिसके नये आराजी नम्बर 967/517 है आवंटन कायम किये जाकर 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि विपक्षी जवाबदाता के नाम पर गैर खातेदार के रूप में अंकित की गई है। प्रार्थीगण ने इस चरण में आवंटन निरस्तीकरण का यह आधार लिया है कि आवंटित आराजी के संबंध में आवंटन /नियमन से पूर्व उद्घोषणा जारी नहीं गई है। इस संबंध में निवेदन है कि विपक्षी जवाबदाता को भूमि का आवंटन राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 **अतिक्रमियो को भूमि आवंटन** के तहत विपक्षी जवाबदाता का पूर्व में कब्जा आवंटितशुदा भूमि पर होने से उसका नियमन किया जाकर भूमि विपक्षी जवाबदाता को आवंटित की गई है। इस नियम के तहत भूमि आवंटन से से पूर्व उद्घोषणा किया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में इस चरण में प्रार्थीगण द्वारा लिया गया आधार विधिक तौर पर चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है। आवंटन पत्रावली के अवलोवन मात्र से ही यह स्पष्ट है कि आवंटन संबंधी कार्यवाही में पटवारी, तहसीलदार, भू–आवंटन समिति के सदस्यों, भू–अभिलेख निरीक्षक, उपखण्ड अधिकारी इत्यादि विभिन्न राजस्व अधिकारियों द्वारा उनके जिम्मे का अलग–अलग कार्य कर बाद आवंटन समिति की अनुशंषा एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय कोटडी जिला भीलवाड़ा द्वारा आवंटन आदेश जारी किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा इस चरण में अंकित तथ्य पटवारी से लेकर उपखण्ड अधिकारी महोदय कोटडी जिला भीलवाड़ा तक के विभिन्न राजस्व सरकारी अधिकारियो की सेवा निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है जब तक प्रार्थीगण द्वारा यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि किस प्रकार से किस एक ही व्यक्ति विशेष द्वारा आवंटन पत्रावली तैयार की गई है। यह कहना नितान्त गलत है कि आवंटन कमेटी ने दिनांक 08.04.2013 को नियमन किये जाने का आदेश प्रदान किया हो एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय कोटड़ी जिला भीलवाडा द्वारा दिनांक 15.04.2013 को नियमन आदेश जारी किया हो। प्रार्थीगण का यह कहना भी गलत है कि आवंटन से पूर्व ही दिनाक 19.01.2013 को कब्जा सुपुर्द कर दिया हो और आवंटन

16.4.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नियमो की पालना नहीं की गई हो। बल्कि वास्तविक स्थिति यह है कि विपक्षी जवाबदाता द्वारा दिनांक 15.01.2013 को विपक्षी जवाबदाता द्वारा अपनी कब्जेशुदा भूमि के नियमन एवं आवंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी महोदय कोटडी जिला भीलवाड़ा को आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाड़ा द्वारा सवंत 2060 से विपक्षी जवाबदाता के कब्जे को सत्यापित किया गया। आवंटन की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा चलाये गये विशेष अभियान में हुई थी तथा केम्प में सभी राजस्व अधिकारी मौके पर मौजुद रहते है जिस पर पटवारी द्वारा एवं भू–अभिलेख निरीक्षक महोदय द्वारा आवंटितशुदा भूमि के संबंध में जॉच की गई जिस पर तहसीलदार महोदय कोटडी द्वारा दिनांक 19.01.2013 को ही आवंटन कमेटी के समक्ष आवंटितशुदा भूमि के नियमन हेतु अनुशंषा की गई थी तथा मौके पर ही ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था जिस पर आवंटन कमेटी के समस्त सदस्यों जिसमें तहसीलदार, मनौनित सदस्य, सरपंच, प्रधान, विकास अधिकारी मौजूद रहते है जिन्होंने आपसी विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से विपक्षी जवाबदाता के पक्ष में विपक्षी जवाबदाता की कब्जाशुदा भूमि का नियमन किये जाने की अनुशंषा की है जिस पर दिनांक 19.01.2013 को ही उपखण्ड अधिकारी महोदय कोटडी जिला भीलवाड़ा द्वारा आवंटन कमेटी की बाद अनुशंषा विपक्षी जवाबदाता की कब्जेशुदा भूमि का नियमन कर दिनांक 19.01.2013 को ही आवंटन पत्र विपक्षी जवाबदाता के पक्ष में जारी कर उसकी एक प्रति विपक्षी जवाबदात्ता को उक्त दिनांक 19.01.2013 को ही सुपुर्द कर दी थी। इससे जाहिर है कि समस्त राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमित तरीके से विधि के अनुसरण में कार्य करते हुये विपक्षी जवाबदाता को भूमि आवंटित की है जो कतई निरस्त होने योग्य नहीं हैं। पटवारी महोदय एवं तहसीलदार द्वारा विपक्षी जवाबदाता के आवंटितशुदा भूमि पर कब्जे को प्रमाणित माना है और संवत 2060 से विपक्षी जवाबदाता के आवंटितशुदा भूमि पर नियमित कब्जे को प्रमाणित किया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है। कि पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा गेजेटेड ऑफिसर द्वारा किसी प्रकार से कोई गलत कार्य किया गया विपक्षी जवाबदाता का 100/–रूपये के स्टाम्प पर जारी शपथपत्र प्रस्तुत है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में जो अंकन किया है वह पूर्णतया सही अंकन किया है। यहाँ इस तथ्य को स्पष्ट किया जाना समीचीनी होगा कि आराजी संख्या 517 रकबा 07 बीधा 07 बिस्वा में से मात्र 02 बीधा 10 बिस्वा भूमि ही आवंटित की गई है जो कि आराजी संख्या 517 की पीछे की ओर स्थित होकर मुख्य सड़क से सटमा नहीं है। साथ ही यह कहना भी समीचीनी होगा कि वक्त आवंटन जिस रोड़ को प्रार्थीगण नेशनल हाईवे होना बता रहे है तत्समय वह रोड़ नेशनल हाईवे की श्रेणी में नहीं आती थी। तहसीलदार साहब कोटडी द्वारा पूर्णतया सही रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ऐसी परिस्थिति में आवंटन किसी भी प्रकार से निरस्त होने योग्य नहीं है। वक्त आवंटन नेशनल हाईवे के तौर पर अधिसूचित नहीं थी और उक्त भीलवाड़ा–कोटा रोड नेशनल हाईवे की परिभाषा में नहीं आता था इस कारण तत्समय अर्थात वक्त आवंटन पटवारी महोदय द्वारा की गई रिपोर्ट सही है और उस समय नेशनल हाईवे की दूरी लगभग 30 किलोमीटर दूर ही थी क्योकि आवंटितशुदा भूमि से सबसे निकटतम राष्ट्रीय राजमार्ग मीलवाड़ा अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग, चित्तौडगढ़ कोटा बस्सी लाडपुरा ही था जो कि दोनो ही राजमार्ग आवंटितशुदा भूमि से 30 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार

16.4.26

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पटवारी महोदय द्वारा की गई रिपोर्ट पूर्णरूपेण सही रिपोर्ट हैं। ग्राम पंचायत रेडवास द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्णतया सही है और अनापत्ति प्रमाण पत्र तत्समय के सचिव द्वारा अनुप्रमाणित है। विपक्षी जवाबदाता द्वारा नियमित तरीके से उसकी कब्जाशुदा भूमि के नियमन हेतु आवेदन दिनांक 15.01.2013 को किया था। उसके पश्चात् राजस्व अधिकारी द्वारा प्रार्थनापत्र पर मार्क करते हुये रिपोर्ट माँगी गई थी जिसके पश्चात् ही विपक्षी जवाबदाता को भूमि का आवंटन किया गया है। विपक्षी को जो आवंटन की कार्यवाही हुई है वह राजस्व केम्प रेडवास में हुई है तथा दिनांक 19.01.2013 को ही विभिन्न राजस्व अधिकारियो ने समुचित निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर आवंटन आदेश जारी किया गया है जो असल ही उक्त दिनांक को ही विपक्षी जवाबदाता को सुपुर्द किया गया था केवलमात्र दिनांक 19.01.2013 को राजस्व केम्प में हुई कार्यों की सूची में नाम नही आने मात्र से विपक्षी जवाबदाता को किये गये आवंटन को फर्जी नहीं माना जा सकता हैं और विपक्षी जवाबदाता को जारी आवंटन किसी भी प्रकार से निरस्त होने योग्य नही हैं। उक्त वर्णित आराजी पर विपक्षी जवाबदाता का निरन्तर कब्जा चला आ रहा था जिसे पटवारी महादेय एवं तहसीलदार ने भी अनुप्रमाणित किया है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि पर आवंटी का पिछले कई वर्षों से का निरन्तर कब्जा चला आ रहा था। विपक्षी को आवंटित भूमि का आवंटन भूमि के अतिक्रमण करने के आधार पर विपक्षी जवाबदाता के कब्जे को नियमित किया जाकर विपक्षी जवाबदाता को भूमि आवंटित की गई है। इस नियम में बीपीएल में होने अथवा नहीं होने का कोई अंकन नहीं है न ही किसी प्रकार की कोई रोक इस नियम में लगाई गई है ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि विपक्षी जवाबदाता के संवत 2060 में बीपीएल में चयनित नहीं होने के आधार पर आवंटन निरस्त होने योग्य है। नियम 1970 में यह कही पर अंकित नहीं है कि बोर्ड प्रस्ताव पारित करने से पूर्व विधायक को आवंटन कमेटी का सदस्य बनाना आवश्यक हो। विपक्षी जवाबदाता ने कही पर भी स्वयं को भूमिहीन काश्तकार बताते हुये आवंटन नहीं करवाया है न ही किसी भी राजकीय कर्मचारी द्वारा यह रिपोर्ट अंकन की है कि विपक्षी जवाबदाता भूमिहीन काश्तकार हो बल्कि राजस्व अधिकारियों, अन्य अधिकारियों ने विपक्षी जवाबदाता के नाम की भूमि 3.10 बीघा तथा नोशनल शेयर में आई भूमि को स्पष्ट तौर पर अपनी रिपोर्ट में है। कोटडी उपखण्ड पूर्व में भीलवाड़ा जिले में था तत्समय कोटडी उपखण्ड सहित अन्य उपखण्ड़ो को तोडते हुये नया जिला शाहपुरा सृजित हुआ उस समय सम्पूर्ण कोटडी तहसील जिला शाहपुरा में चली गई थी तथा विपक्षी जवाबदाता के आवेदन पर दिनांक 16.08.2023 को उपखण्ड अधिकारी महोदय कोटडी जिला शाहपुरा द्वारा विपक्षी जवाबदाता को आवंटित भूमि राजस्व रेकार्ड में गैर–खातेदारी के रूप में विपक्षी जवाबदाता के नाम पर दर्ज करने का आदेश पारित फरमाया है जो पूर्णतया सही है जहाँ तक पटवार हल्का रेडवास से राजस्व क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी महोदय मीलवाड़ा का होने का प्रश्न है इस संबंध में क्षेत्राधिकार के संबंध में आदेश राजस्थान सरकार द्वारा आदेश दिनांक 27.09. 2023 को पारित फरमाया है जबकि उपखण्ड अधिकारी महोदय कोटडी जिला शाहपुरा द्वारा विपक्षी जवाबदाता के नाम पर गैर खातेदारी में दर्ज करने का आदेश राज्य सरकार के उक्त आदेश दिनांक से पूर्व ही दिनांक 16.08.2023 से पूर्व ही फरमा दिया गया था ऐसी स्थिति में सक्षम

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

16.4.26

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

क्षेत्राधिकारिता के उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा ही आवंटितशुदा भूमि को राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिनांक 16.08.2023 को आदेश फरमाया है जो सही है। प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र आवंटन दिनांक 19.01.2013 से करीब 12 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया है जो कि निश्चित तौर पर समयावधि वर्जित होने से काबिल खारिज होने योग्य है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विपक्षी जवाबदाता का प्रार्थनापत्र रेकार्ड पर लिया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि विपक्षी सत्यनारायण जाट को आवंटन कमेटी द्वारा ग्राम नोहरा में 19.01.2013 को आराजी नम्बर 517 रकबा 7.07 बीघा आवंटित भूमि में से रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आंवटन किया गया। वक्त आवंटन भीलवाडा कोटा नेशनल हाईवे के तौर पर अधिसूचित नही था तथा आवंटित भूमि स्वीकृत MDR से दूर स्थित थी। तहसीलदार कोटडी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिर्पोट दिनांक 19.11.2024 अुनसार कब्जा संबंधी दो अलग–अलग तथ्य स्थानीय वासियों की राय अनुसार प्रस्तुत किये है जिस अनुसार कब्जा 1 से 2 माह पुराना एवं 12 से 13 वर्ष पुराना होना बताया है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि पर 2024 में काश्त होना पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा सलंग्न गिरदावरी अनुसार 2025 में उडद काश्त होना दर्शित हुआ है।

उक्त विवेचन अनुसार आवंटी की प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त है अतः प्रार्थी गोपाल जाट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) सारहीन व मियाद बाहर होने के कारण अस्वीकार योग्य हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से विपक्षी आवंटी सत्यनारायण जाट के नाम ग्राम नोहरा की आराजी संख्या 517 रकबा 07.07 बीघा भूमि मे से रकबा 02.10 बीघा के आवंटन निरस्तीकरण हेतु राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो निराधार एवं विधि विरूद्व होने से अस्वीकार किया जाता है। विपक्षी आवंटी के नाम ग्राम नोहरा की आराजी संख्या 517 रकबा 07.07 बीघा भूमि मे से रकबा 02.10 बीघा के आवंटन को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार कोटडी को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16 .04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.4.26

(रणजीत सिंह)
अति0 जिला कलक्टर
भीलवाडा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा